तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर [illegible]
12/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। सिविल वादों बहस हेतु दिनांक 12/2/25 को पेश हो। Rajendra [illegible] कलेक्टर [illegible]	
12/02/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 12/3/25 को पेश हो रीडर	
12/3/25	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 9/4/25 को पेश हो। रीडर	
09/4/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 08/5/25 को पेश हो रीडर	
08/5/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 4/6/25 को पेश हो रीडर	
04/06/2025	पत्रावली पेश हुई। ~~वादी~~ प्रार्थी अधिवक्ता अनु.। ~~वादी~~ प्रार्थी को न्यायालय समय में रुक-रुककर तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है, अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Rajendra	

Read
26/12/22

सेवामें

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम

उपखण्ड अधिकारी महोदय बापिणी जिला फलोदी

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या /2023

प्रार्थी

आसूराम पुत्र श्री केसाराम जाति जाट निवासी ग्रम जेवासर तहसील बापिणी जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. घमण्डाराम पुत्र श्री केसाराम
2. अमराराम पुत्र श्री केसाराम
3. उरजाराम पुत्र श्री केसाराम
4. कपिल पुत्र श्री मोतीराम
5. खीयाराम पुत्र श्री घमण्डाराम
6. गुडी पत्नी श्री पुखराज
7. चन्द्र प्रकाश पुत्र मोतीराम
8. देवीलाल पुत्र श्री मोतीराम
9. धमेन्द्र पुत्र श्री मोतीराम
10. पुखराज पुत्र श्री घमण्डाराम
11. मगाराम पुत्र श्री केसाराम
12. मदनलाल पुत्र श्री मोतीराम
13. मीरा पत्नी श्री खियाराम

14. श्रवण कुमार पुत्र श्री मोतीराम

15. हीराराम पुत्र श्री मोतीराम

16. अन्नी पत्नी श्री पपूराम

17. ईमरती पत्नी श्री श्रवणराम

18. उगमा पत्नी श्री लालाराम

19. पपूराम पुत्र श्री उरजाराम

20. बाबुराम पुत्र श्री उरजाराम

21. लालाराम पुत्र श्री उरजाराम

22. सुशीला पत्नी श्री देवीलाल

23. शायरी पत्नी श्री हीराराम

24. सीता पत्नी श्री मदनलाल सभी जाति जाट निवासी ग्रम जेवासर तहसील बापिणी जिला फलोदी ।

25. सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलोदी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र पेश है :–

1. यह है कि प्रार्थीगण के द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बहुत ही मजबूत तथ्यो के आधार पर पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है।
2. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम मुकनासर के खसरा सख्या 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5.3014 (पॉच दशमलव तीस चौदह) हेक्टर व राजस्व ग्रम जेवासर के खसरा सख्या 1245 (बारह सौ पेतालीस) रकबा 42.3624 (बयालीस दशमलव छतीस चोबीस) हेक्टर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की आई हुई है उक्त

खसरान की भूमि की चालू जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है । उक्त खसरान की भूमि को प्रार्थना पत्र के आगामी पदो में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

3. यह है कि उक्त खसरान की वागद्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अन्दाजिया तौर से कम ज्यादा भूमि पर विभाजन किया हुआ है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का वागद्रस्त भूमि पर भौतीक विभाजन किया हुआ है जिसमें अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है वही प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से में अप्रार्थीगण अपनी स्वय की भूमि बताकर काश्त नही करने दे रहे है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण व वादग्रस्त भूमि पर अपने अपने हक हिस्से के अनुसार वर्षो से काबिज है उसी अनुसार काश्त करते है।

4. यह है कि वादग्रस्त भूमि माप व सीमाकंन के अनुसार विभाजन किया हुआ नही है। इसलिए अप्रार्थीगण अपनी मनमर्जी के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने हेतु आमदा हैं एवम अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि पर जबरन स्वय की भूमि बताकर काश्त नही करने दे रहे हैं जब प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने कर रहे थे तो अप्रार्थीगण एकराय होकर दिनॉक 26.11.2023 (छब्बीस नवम्बर दो हजार तेबीस) एकराय होकर प्रार्थीगण व उसके परिवार के लोगो के साथ मारपीट की जिसका फोजदारी प्रकरण सख्या 174/2023 (एक सौ चोहतर बटा दो हजार तेबीस) पुलिस थाना मतौडा अन्तर्गत धारा 143 341 323 427 354 458 भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज हो रखा हैं जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर कब्जे को लेकर भयंकर विवाद हैं इस प्रकार से अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक हिसे की भूमि पर किसी प्रकार की कोई दखलदांजी करने का अधिकार नही हैं इसलिए प्रार्थीगण इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अत यह

प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली के विरूद्व व्यादेश का अप्रार्थीगण के विरूद्व हमरा पेश है।

5. यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज तरीके से प्रार्थीगण के हिस्से में वर्षो पूर्व किए गए बटवाडे में तथा प्रार्थीगण के हक अधिकार सुदा भूमि में जिसमें अप्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया तो अप्रार्थीगण का कब्जा हटाया जाना मुश्किल हो जाएगा तथा प्रार्थी अपने हक अधिकार सुदा भूमि के उपयोग व उपभोग से महरूम हो जाएगा। इसलिए प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयौ पैसो में किया जाना असम्भव होगा।

6. यह है कि वाद्रगस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी तथा हक अधिकार सुदा भूमि होने तथा प्रार्थी को उक्त भूमि मे वर्षो से कब्जा काश्त होने से तथा अप्रार्थी को कोई उक्त भूमि में दखलदांजी का कोई हक अधिकार नही होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। व सुविधा का सन्तलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है।

अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को ताफैसलदा इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम मुकनासर के खसरा सख्या 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5.3014 हेक्टर व राजस्व ग्रम जेवासर के खसरा सख्या 1245 (बारह सौ पेतालीस) रकबा 42.3624 हेक्टर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त सुदा भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलदांजी नही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थी